राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	332/2020 श्रीमति सजूकँवर / गोविन्दा हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08/12/21	आज यह पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत हुई। संक्षिप्त में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) चौमू के समक्ष वादी गोविन्दा रेस्पोडेन्ट द्वारा एक वाद बाबत तकासमा एवम् स्थाई निषेधाज्ञा इन तथ्यों के साथ प्रस्तुत किया कि वाद में अंकित आराजीयात के वादी एवम् प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 10 संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार है जिसका विधिवत तकासमा नहीं हुआ है। वाद में अंकित किया गया कि प्रश्नगत आराजी में वादी का 1/4 भाग तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 10 का शेष 3/4 भाग मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड है जिस पर हिस्से अनुसार पक्षकारान् काबिज काश्त है। प्रश्नगत आराजी के विधिवत बंटवारे हेतु वादी निरन्तर प्रतिवादीगण को कहता रहा किन्तु प्रतिवादीगण टालमटोल करते रहे। वाद में यह अंकित करते हुए कि दिनांक 10.06.2019 को प्रतिवादीगण प्रश्नगत आराजी पर आये तथा वादी को उसको हक हिस्से की भूमि से बेदखल करने पर आमादा हो गये तथा प्रश्नगत आराजी के विशिष्ट भू-भाग पर खंबे गाडकर तारबंदी करने की कोशिश करने लगे इस पर वादी द्वारा मना करने पर प्रश्गगत आराजी का विधिवत बंटवारा कराने से इंकार करते हुए प्रश्नगत आराजी को कृषि भूमि से अकृषि प्रयोग लेने पर आमादा होने लगे जिससे वादकारण उत्पन्न होकर अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पेश करना आवश्यक हुआ। प्रतिवादीगण की ओर से जवाब वाद मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत हुआ जिसमे वाद के तथ्यों की ताईद करते हुए तकासमा किये जाने की अनापत्ति दर्ज कराई गई। दौराने वाद अपीलार्थीया की ओर से अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. प्रस्तुत किया गया जिसमें प्रार्थीया द्वारा सजरा खानदान अंकित करते हुए प्रश्नगत आराजीयात के मूल खातेदार चूना पुत्र अमरा की स्वयं को पुत्री होना अंकित कर, प्रश्नगत आराजी में प्रार्थीया का 1/5 हिस्सा होने से उसे पक्षकार वाद बनाये जाने की प्रार्थना की गई। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पर पक्षकारान् की बहस सुनी जाकर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया एवम् मूल वाद पर बहस पक्षकारान् समायत की जाकर अपने निर्णय दिनांक 27.02.2020 के द्वारा वादी का वाद डिक्री कर दिया गया जिसके विरूद्व इस न्यायालय के समक्ष अपीलार्थीया द्वारा यह अपील धारा 96 जाप्ता दीवानी एवम् दफा-5 कानून मियाद के प्रार्थना पत्रों के साथ इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है। चूंकि अपीलार्थीया अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार वाद नहीं थी इसलिए अपीलार्थीया द्वारा इस न्यायालय के समक्ष धारा 96 जाप्ता दीवानी के मार्फत इजाजत बाबत् प्रस्तुत किये जाने अपील चाही है जिसका जवाब रेस्पोडेन्ट्स की ओर से प्रस्तुत हुआ जिसमें रेस्पोडेन्ट्स/अपीलार्थीगण द्वारा प्रार्थीया/अपीलार्थीया का हितधारी पक्षकार होने से इंकार किये जाने से बहस प्रार्थना पत्र धारा 96 जाप्ता दीवानी बाबत् समायत की गई। अभिभाषक प्रार्थीया ने बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीया/अपीलार्थीया वाद में अंकित प्रश्नगत आराजीयात के मूल राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

श्रीमति शम्भू कँवर / गोविन्दा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
332/2020	2

खातेदार चूना की पुत्री होने की वजह से चूना की प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी है जिससे चूना की खातेदारी की आराजीयात में उसका हित निहित है जिससे प्रार्थीया हितधारी पक्षकार है जिससे उसमें अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री के विरूद्व अपील प्रस्तुत करने का अधिकार निहित है। अभिभाषक प्रार्थीया ने बहस में यह भी निवेदन किया कि प्रार्थीया की ओर से अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष भी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. बाबत बनाये जाने पक्षकार वाद प्रस्तुत किया था जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 21.11.2019 को गलत तौर पर खारिज कर दिया जिससे भी प्रार्थीया प्रकरण में हितधारी पक्षकार होना एवम् अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री जैर अपील से प्रभावित पक्षकार होना सिद्ध है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र धारा 96 जाप्ता दीवानी स्वीकार फरमाया जाकर मूल अपील का गुणावगुण पर निस्तारण किया जावे।

अभिभाषक अप्रार्थी ने जवाब बहस में अभिभाषक प्रार्थीया के कथनों का खंडन करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीया द्वारा स्वयं को मूल खातेदार चूना की पुत्री होना कहकर हितधारी पक्षकार जाहिर करते हुए, अपील प्रस्तुत की गई है। इन्हीं तथ्यों के साथ अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. प्रस्तुत किया था किन्तु अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष भी प्रार्थीया द्वारा ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई जिससे की ऐसा साबित होता हो कि प्रार्थीया प्रश्नगत आराजी के मूल खातेदार चूना की पुत्री हो। अभिभाषक अप्रार्थी ने न्यायालय हाजा का ध्यान अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद के साथ प्रस्तुत नकल जमाबंदी संवत् 2072–2075 की ओर आकर्षित कराते हुए, निवेदन किया कि प्रश्नगत आराजी के मूल खातेदार चूना के सभी वारिसान् संबंधित सभी सहखातेदारों के नाम का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में अंकित है यदि प्रार्थीया चूना की पुत्री होती तो उसका भी नाम प्रश्नगत आराजी के संबंध में राजस्व रिकॉर्ड में अंकित होता। ऐसा कोई अंकन राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीया के हक में नहीं होने से एवम् प्रार्थीया द्वारा चूना की पुत्री होने के सन्दर्भ में कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किये जाने की वजह से ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र बाबत् बनाये जाने पक्षकार खारिज किया गया था जिसकी आगे कोई कार्यवाही प्रार्थीया द्वारा नहीं की गई जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थीया वाद में अंकित प्रश्नगत आराजी के सन्दर्भ में कोई हितधारी पक्षकार नहीं है। इस कारण प्रार्थीया को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री के विरूद्व अपील प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं रहता। अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जाप्ता दीवानी खारिज फरमाया जावे एवम् मूल अपील भी संधारणीय नहीं होने से खारिज की जावे।

अभिभाषक पक्षकारान् की बहस पर मनन किया गया एवम् पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीया इस न्यायालय के समक्ष स्वयं को वाद में अंकित प्रश्नगत आराजीयात के मूल खातेदार चूना की पुत्री अंकित करते हुए, अपील प्रस्तुत किये जाने की स्वीकृति चाहती है। इस सन्दर्भ में मूल वाद की एवम् प्रस्तुत अपील पत्रावली का अवलोकन किया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

श्रीमति राजूकंवर / गोविन्दा

332/2020

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

3

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

प्रार्थीया द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष भी वाद के लंबित रहते हुए, प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 जाप्ता दीवानी बाबत् बनाये जाने पक्षकार वाद प्रस्तुत किया था किन्तु उक्त प्रार्थना पत्र के साथ कोई साक्ष्य सबूत इस आशय का कि वह चूना की पुत्री होना सिद्ध होती हो, प्रस्तुत नहीं किये जाने से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पर पारित आदेश के विरूद्व प्रार्थीया द्वारा कोई अग्रिम कार्यवाही नहीं की गई। न्यायालय हाजा के समक्ष भी प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत अपील के साथ कोई ऐसी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र धारा 96 जाप्ता दीवानी में अंकित तथ्य की वह चूना की पुत्री है, का होना साबित होता हो। इसके अतिरिक्त अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड में भी प्रार्थया का नाम का अंकन बतौर सहखातेदार अंकित नहीं है जिससे यह तथ्य साबित होता है कि प्रार्थीया अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री से किसी भी प्रकार से प्रभावित पक्षकार नहीं है। फलस्वरूप न्यायहित में प्रार्थीया को अपील प्रस्तुत किये जाने की स्वीकृति प्रदान नहीं की जा सकती है।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जाप्ता दीवानी खारिज किया जाता है। प्रार्थीया अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.02.2020 से स्वयं को प्रभावित पक्षकार साबित करने में असफल रही है। इस आधार पर प्रार्थीया/अपीलार्थीया द्वारा प्रस्तुत अपील संधारणीय नहीं होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08/12/2021 को लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

291
13-1-22

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर